

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी- देवेन्द्र कुमार

आई०ए०एस०

नामा. अपील सं० 14/2019

श्रीकिशन पुत्र रामसहाय जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भंडाना तह० दौसा -मृतक

1/1 सरजो देवी बेवा स्व. श्रीकिशन

1/2 राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्रीकिशन

1/3 नरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्रीकिशन

जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भंडाना तह० दौसा जिला दौसा

1/4 अनीता देवी पुत्री श्रीकिशन पत्नि महेश कुमार शर्मा जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी
ग्राम जौण तहसील दौसा

1/5 सुनीता पुत्री श्रीकिशन पत्नि विक्रम कुमार शर्मा जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी प्लॉट
नंबर 53, भैरू मीना का बाग, आमेर रोड, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर

1/6 मदनलाल पुत्र स्व. श्रीकिशन

...अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा
2. रामावतार पुत्र रामकरण
3. दीनदयाल पुत्र हरिप्रसाद
4. शिवगोपाल पुत्र हरिप्रसाद
5. मनभरी पत्नि हरिप्रसाद



..रेस्पो.

अपील अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध नामान्तरण सं० 830 दिनांक 14.3.2019 बाबत तस्दीक तहसीलदार दौसा

- उपस्थित:-
1. श्री नरेन्द्र कुमार तिवाड़ी, अधिवक्ता अपीलांट्स
 2. श्री वरुण नागर, अधिवक्ता रेस्पो० सं० 2 से 5 की ओर से।
 3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 10.03.2025

1. संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार दौसा द्वारा पारित नामान्तरण सं० 830 दिनांक 14.3.2019 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो० की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।
3. अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि ग्राम जीरोता खुर्द में आराजी खसरा नंबर 71, 72, 74, 88, 89, 244, 245/1147, 246/1148, 247/1149, कुल किता 9 कुल रकबा 8.56 है. भूमि स्थित है जिसकी खातेदारी अपीलांट व रेस्पो० सं० 2 से 5 के नाम है परन्तु रेस्पो. सं० 2 से 5 द्वारा सहमति से विभाजन करा लिया। उक्त सहमति विभाजन के आदेश के विरुद्ध तहसीलदार दौसा के आदेश के विरुद्ध एक अपील न्यायालय में अपीलांट ने प्रस्तुत कर रखी है जो विचाराधीन है उसमें तहसीलदार स्वयं भी पक्षकार है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने रेस्पो० से साज करके तकास्मा के विरुद्ध अपील व प्रकरण विचाराधीन होते हुए व तथ्यों को छिपाते हुए मिलीभगत कर नामान्तरण उक्त सहमति के आधार पर तस्दीक करा लिया जो बिल्कुल अवैधानिक है। अभी तो न्यायालय श्रीमान को यह तय करना है कि सहमति

विभाजन सही है या गलत है तथा कानून भी किसी भी संपत्ति के संबंध में वाद विचाराधीन है तथा अपीलांट द्वारा सहमति विभाजन को न्यायालय में चुनौती दे रखी है, इसके बावजूद भी तहसीलदार द्वारा उक्त गलत विभाजन के आधार पर नामान्तरण चुपचाप में ही तस्दीक कर दिया जो कानून के विरुद्ध है तथा नामान्तरण तस्दीक किये जाने से पूर्व अधीनस्थ तहसीलदार को अपीलांट को नोटिस दिया जाना चाहिए था उसके बाद ही नामान्तरण तस्दीक किया जाना चाहिए था। इन तमाम तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरण मिलीभगत कर व रेस्पों. से साज करके तस्दीक किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश खिलाफ कानून, नियम, उपनियम व पत्रावली तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट द्वारा सहमति तकास्मा आदेश दिनांक 29.6.2018 के विरुद्ध अपील न्यायालय श्रीमान में पूर्व से ही पेश कर रखे हे तथा सहमति तकास्मा को सक्षम न्यायालय में चुनौती दे रखी है जिसमें तहसीलदार भी पक्षकार है जिसको संपूर्ण तथ्यों की जानकारी है इसके बावजूद भी तहसीलदार दौसा ने समस्त तथ्यों को जानते हुए भी उनको छुपाते हुए दिनांक 14.3.2019 को नामान्तरण तस्दीक किया है जो प्रारंभिक तौर पर ही खारिज योग्य है। नामान्तरण तस्दीक किये जाने से पूर्व अपीलांट जो कि भूमि का रिकार्ड खातेदार है उसे कोई नोटिस नहीं दिया गया जबकि कानून का प्राकृतिक सिद्धान्त है कि पीडित पक्ष को नोटिस जारी कर उसे सुनवाई का अवसर देने के बाद ही नामान्तरण तस्दीक किया जाना चाहिए था परन्तु तहसीलदार ने अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया। कानून द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित कर रखा है कि किसी विवादित भूमि के संबंध में न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन है तो तहसीलदार को किसी प्रकार की कार्यवाही करने का व नामान्तरण तस्दीक किये जाने का कोई अधिकार नहीं है न ही ऐसी कोई कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा सकती है। परन्तु तहसीलदार ने सारे तथ्यों को छुपाते हुए नामान्तरण तस्दीक किया है जो निरस्तनीय है। अभी तो न्यायालय श्रीमानजी को यह तय करना है कि विभाजन सही है या गलत यह निर्णय करना है इससे पूर्व ही तहसीलदार ने सहमति विभाजन के आधार पर नामान्तरण तस्दीक कर दिया जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण सं० 830 आदेश दिनांक 14.3.2019 जो कि तहसीलदार दौसा द्वारा पारित किया गया है को निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांटस ने दौराने बहस अपीलांट्स व रेस्पों० सं० 2 से 5 के मध्य राजीनामा होने बाबत राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामे के अनुसार मूल विभाजन की अपील में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से पूर्व के राजीनामा अनुसार भरे गये नामान्तरण को निरस्त किया जाकर राजीनामा अनुसार पुनः हो रहे विभाजन के अनुसार नामान्तरण अंकित कर दिया जावे।

4. राजकीय अधिवक्ता एवं अधिवक्ता रेस्पों. सं० 2 से 05 नें पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामे के अनुसार भूमि अंकित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।
5. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा का अवलोकन किया गया।
6. पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि तहसीलदार दौसा ने अपीलांट्स व रेस्पों. के मध्य आपसी सहमति से ग्राम जीरोता खुर्द स्थित आराजी का विभाजन स्वीकार किया गया था जिसमें खसरा नंबर 74/1, 89/1, 244/3, किता 3 रकबा 3.62 है। रामावतार पुत्र रामसहाय, खसरा नंबर 88, 244/1, 245/1147 कुल रकबा 1.30 है। अपीलांट श्रीकिशन को व खसरा नंबर 89/2, 71, 72, 74/2 कुल रकबा 3.64 है। दीनदयाल, शिवगोपाल ि हरिप्रसाद व मनभरी पत्नि हरिप्रसाद को दिया गया था का नामान्तरण तहसीलदार दौसा ने तस्दीक किया गया था। चूंकि अब दोनों पक्षकारान के मध्य राजीनामा अनुसार खसरा नंबर 88 रकबा 0.18 है। व खसरा नंबर 89 का इस प्रकार विभाजन किया जावे कि दोनों कर रकबा कुल मिलाकर 1 हैक्टेयर होता है इसमें से पश्चिम और का उत्तर दक्षिण आर पास

हिस्सा खसरा नंबर 88, 89 को मिलाते हुए कुल 1/4 अर्थात 0.25 है। भूमि अपीलान्ट की रहेगी व इससे लगता हुआ पूर्वी ओर का आर पार. उत्तर दक्षिण लगते हुए आधे-आधे हिस्से रामोतार व शेष आधा दीनदयाल, शिवगोपाल व गनभरी रेस्पो. के नाम लगा दिया जावे। इस प्रकार तीनों की उत्तर दक्षिण आर पार पट्टी कर दी जावे व शेष विभाजन को यथावत रखे जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है। हम अपील अपीलान्ट राजीनामा अनुसार आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य समझते है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। तहसीलदार दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.3.2019 को खसरा नंबर 88 व 89 की हद तक निरस्त किया जाता है। शेष नामान्तरण आदेश यथावत बहाल रखा जाता है। तहसीलदार दौसा को प्रकरण इस आशय से रिमांड किया जाता है कि पक्षकारान द्वारा उठाई गई आपत्तियों को मध्यनजर रखते हुए पुनः खसरा नंबर 88 व 89 वाके ग्राम जीरोता खुर्द का राजीनामा अनुसार नामान्तरण किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख एवं राजीनामा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार दौसा को प्रेषित की जावे। पक्षकारान दिनांक 24.3.2025 को तहसीलदार दौसा के समक्ष वास्ते सुनवाई उपस्थित हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भंडार हो।

Dw
(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक: 10 मार्च, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।



Dw
(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा